प्रेषक,

संख्या 1188/ ब्यूरो–151 / 77

श्री टी०एस०आर० सुब्रामनियन,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

राज्य के समस्त सार्वजनिक उद्योगों के
अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशकगण।

सार्वजनिक उद्योग ब्यूरो अनुभाग

लखनऊ: दिनांक 11 अप्रैल, 1977

विषय:–– किसी सरकारी विभाग तथा राज्य के सार्वजनिक उद्योग अथवा राज्य के सार्वजनिक उद्योगों के मध्य उठे पारस्परिक विवाद (Disputes) को निपटाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उत्तर प्रदेश सार्वजनिक निगमों पर नियंत्रण अधिनियम, 1975 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 41, 1975) तथा कम्पनीज ऐक्ट, 1956 के अन्तर्गत पंजीकृत राज्य के सार्वजनिक उद्योगों के आर्टिकल्स आफ असोसियेशन के संबंधित आर्टिकिल द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके श्री राज्यपाल यह निदेश देते हैं कि उत्तर प्रदेश शासन के किसी विभाग तथा राज्य के किसी सार्वजनिक उद्योग/निगम/उपक्रम के मध्य अथवा राज्य के सार्वजनिक उद्योगों/निगमों/उपक्रमों के मध्य उठे पारस्परिक विवाद को निपटाये जाने के निमित्त किसी भी पक्ष को न्यायालय में वाद उपस्थित नहीं करना चाहिये। इस प्रकार के विवाद सामान्यत: निम्नलिखित दो श्रेणियों के अन्तर्गत आते हैं:

(1) सांविधिक मामलों (Statutary matters) से संबंधित विवाद।

(2) वाणिज्यिक अथवा अन्य उपबन्धों (Agreements) से संबंधित विवाद।

उक्त विवाद चाहे जिस श्रेणी में आता हो, उसके संबंध में यह निर्णय लिया गया है कि सभी प्रकार के विवादों को, सौहार्द पूर्ण ढंग से, पारस्परिक परामर्श अथवा शासन द्वारा प्राधिकृत एजेन्सी अथवा विवाचन (Arbitration) के माध्यम से निपटाया जाय तथा न्यायालयों में मुकदमा दायर करने का तरीका पूर्णतया समाप्त किया जाय।

2 मुझे आप से यह भी कहना है कि यदि किसी विवाद को विवाचन (Arbitration) के माध्यम से निपटाये जाने का निर्णय लिया जाय, तो विवाचन (Arbitration) विधि विभाग से सेवारत वह संयुक्त सचिव के स्तर का अधिकारी होगा, जिसे न्याय सचिव, उत्तर प्रदेश शासन नामित करें। साधारणतया, कोई भी पक्ष, पैरवी हेतु किसी वकील को नियुक्त नहीं करेगा, हालांकि पेचीदे मामलों में, जिनमें विवाचक स्वयं यह उपयुक्त समझे कि पेचीदे विधि विन्दुओं पर बाहरी सहायता आवश्यक है, सरकारी वकीलों की नियुक्ति इस सीमित उद्देश्य से, उस एक मुश्त भुगतान पर की जा सकेगी, जिसे शासन के विधि परामर्शी स्वीकार करें। विवाचक के निर्णय के विरुद्ध, न्यायालयों में, कोई अपील दायर नहीं की जायेगी और उनका निर्णय अन्तिम होगा। यदि विवाचक के निर्णय में कोई प्रत्यक्ष त्रुटि हो अथवा आर्विट्रेशन ऐक्ट, 1940 की धारा 16 तथा 30 में उल्लिखित कारणों के अधीन विवाचक के निर्णय को चुनौती देने का अभिप्राय हो, तो मामला न्याय सचिव, उत्तर प्रदेश के शासन के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा, जिनका निर्णय अन्तिम होगा।

भवदीय,
टी० एस० आर० सुब्रामनियन,
विशेष सचिव।